COURT OF ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-I, JAMUI

Satyanarayan Sheohare ***SC ST case No. 55/2013***

***Addl. Sessions Judge* I-cum-Special Judge SC/ST, Jamui**

12-03-2026

अभियुक्तगण नरेश यादव एवं नन्दु यादव की हाजरी है। पुकार पर अभियुक्तगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 323, 341, 379 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(x) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के लिये दिनांक 12.09.2013 को आरोप का गठन हुआ था तथा विचारण के दौरान तीन अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य हुआ। **अभियोजन साक्षी संख्या 1, 2 एवं 3 ने अपने–अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह घटना के बारे में कुछ नही जानते है। फलतः ये साक्षी अभियोजन पक्ष द्व ारा पक्षद्रोही घोषित हुये।** अतः अभियुक्तो को द0प्र0स0 की धारा 232 का लाभ प्रदान करने की कृपा की जाए।

सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनपरांत मैं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्कों से सहमत हूं। इस मामले मे विचारण के दौरान तीन अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य हुआ। **अभियोजन साक्षी संख्या 1, 2 एवं 3 ने अपने–अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह घटना के बारे में कुछ नही जानते है।** अतः उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण, जो न्यायालय में उपस्थित है, की जांच कर अभियुक्तगण को द0प्र0सं0 की धारा 232 के अंतर्गत इस मामले में लगे आरोप से दोष–मुक्त किया जाता है, इन्हे तथा इनके जमानतदारों को भी बंध पत्र के दायित्व से उन्मुक्त किया जाता है।

कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, जमुई।